न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 02/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/8

रामचन्द्र पुत्र लाला राम, ब्राहमण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 19.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत निवेदन किया गया कि धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 28.11.2023 आवेदन में वर्णित 5 बिंदूओं पर चाही गई सूचना सार्वजनिक रूप से हैं निर्धारित समय में कोई सूचना नहीं दी गई है ना कोई प्रतिउत्तर भिजवाया गया है। नियमानुसार सद्भावना पूर्व कृत्य नहीं किया गया हैं। समयावधि पश्चात ढ़ाई सौ रूपये प्रति दिन जुर्माना लगाया जावे। अपीलार्थी को चाही गयी सूचना निशुल्क दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ से टिप्पणी प्राप्त की गयी। अति0 जिला कलक्टर, अनूपगढ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक/आरटीआई/2024/14 दिनांक 29.01.2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर से संबंधित होने के कारण आवेदन धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर को कार्यालय के पत्रांक/आरटीआई/2023/20 दिनांक 29.11.2023 द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्रांक /आरटीआई/2023/20 दिनांक 29.11.2023 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर से संबंधित होने के कारण उन्हें हस्तान्तरित करते हुए आवेदक को सूचित कर दिया था। अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में कोई सूचना नहीं दी गई है ना कोई प्रतिउत्तर भिजवाया गया है। परन्तु अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर स्पष्ट हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन हस्तांतरित करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर दिया था। अतः अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:25 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)